न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2024

प्रार्थी–

लांगा उर्फ लांगाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भोजारिया
2. महासिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासी भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 19 दिनांक 05.08.2017 जो ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश पूनड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.12.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भोजारिया के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भोजारिया की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 19 दिनांक 05.08.2017 जारी किया गया। ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाकर ... हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत भोजारिया का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि निगरानीकर्ता एक निर्धन व सरन स्वभाव का व्यक्ति हैं जिसके कब्जे का 45 गुणा 60 फीट का कब्जाशुद परिसर भोजारिया गांव की आबादी भूमि पर पटवार भवन से पूर्व दिशा में स्थित था एवं पास में जीवाराम मेघवाल का कब्जाशुद परिसर स्थित था। ग्राम भोजारिया में स्थित पटवार भवन की चारदिवारी स्वीकृत होने पर वर्तमान सरपंच धर्मेन्द व महासिंह सहित इनके अन्य सहयोगियों ने निगरानीकर्ता एवं जीवाराम के कब्जाशुद परिसर को पटवार भवन की चारदिवारी में अतिक्रमण बताते हुए उन्हे कब्जा हटाने का निवेदन किया। इस पर ग्रामीणों ने भी सकारात्मक रवैया रखते हुए सरकारी कार्य के लिये निगरानीकर्ता एवं जीवाराम ने अपने कब्जे हटा दिये। पटवार भवन की चारदिवारी का निर्माण पूरा होने के 26 दिन पश्चात वर्तमान सरपंच धर्मेन्द्र व महासिंह ने छुपे तौर पर पटवार भवन की चारदिवारी के भीतर दिनांक 09.06.2024 को एक नई दिवार निर्माण प्रारंभ किया, जिसके संबंध में कोई स्वीकृति नहीं थी। निगरानीकर्ता एवं अन्य ग्रामीणों ने उक्त दिवार बनाने के उद्देश्य का पता किया तो ज्ञात हुआ कि वर्तमान सरपंच एवं महासिंह ने उक्त भूमि के कूटरचित पट्टे अपने नाम जारी करवाये हैं तथा उक्त पट्टों के आधार पर पटवार भवन की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरपंच द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर पूर्व में काबिज निगरानीकर्ता का कब्जा हटाकर अपने संबंधी के नाम कूट रचना कर पूर्व सरपंच के कार्यकाल का फर्जी हस्ताक्षर से पट्टा जारी करवाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज नियमों की घोर अनदेखी की गई हैं, जिससे आलौच्य पट्टा खारिज योग्य हैं।

5. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं तथा पुराने कब्जे के तथ्य को छुपाकर कूटरचना द्वारा पट्टा जारी करवाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या 19 व 29 की प्रतियां एवं उसके मिसल व सम्पूर्ण पत्रावली के संबंध में सूचना का अधिकार के तहत नकले मांगी गई जो जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 जिसका रहवास उक्त स्थल से 2 किमी दूर ग्राम छोटा भोजारिया में स्थित है तथा उसका कभी उक्त स्थल पर कब्जा नहीं रहा मात्र अतिक्रमण करने की नियत से एवं नियमों को ताक पर रख कर कूटरचना कर आलौच्य पट्टा जारी करवाया है जो प्रारंभ से ही शुन्य होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

6. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भोजारिया की आबादी भूमि में अप्रार्थी का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 19 दिनांक 05.08.2017 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है । ग्राम पंचायत भोजारिया की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी का इस भूमि पर पुराना कब्जा कभी नहीं रहा हैं तथा न ही हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का यह कथन भी मनगढत एवं आधारहीन है कि ग्राम पंचायत द्वारा पटवार भवन की चारदिवारी निर्माण हेतु प्रार्थी के कब्जे को हटाया गया है, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस या आदेश ग्राम पंचायत की ओर से जारी ही नहीं हुआ हैं। प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

यह कथन भी सरसर असत्य हैं कि आलौच्य पट्टे की कार्यवाही पश्चातवर्ती तिथि में कूटरचना द्वारा की गई हैं जबकि पूर्ववर्ती सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने इसे पूर्व में निष्पादित एवं जारी पट्टा दस्तावेज को पंजीयन किये हेतु पुर्नविधिमान्य किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की अविधिमान्यता नहीं हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी का कथन हैं कि निगरानीकर्ता एक निर्धन व सरन स्वभाव का व्यक्ति हैं जिसके कब्जे का 45 गुणा 60 फीट का कब्जाशुद परिसर भोजारिया गांव की आबादी भूमि पर पटवार भवन से पूर्व दिशा में स्थित था एवं पास में जीवाराम मेघवाल का कब्जाशुद परिसर स्थित था। इस कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, ऐसे में सर्वप्रथम तो प्रार्थी आलौच्य पट्टे से हितबद्ध होने का तथ्य प्रमाणित नही कर पाया हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना–पत्र हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इसके उपरांत भी प्रार्थी का यह कथन भी साक्ष्यों से परे हैं कि उसका कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा हटाया गया हैं जबकि ग्राम पंचायत की ओर उसे कब्जा हटाने बाबत कोई नोटिस या ग्राम पंचायत का विनिश्चय भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत भोजारिया के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने [illegible] कब्जे के विनियमितिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुत होने पर स्थल निरीक्षण हेतु तीन वर्ड पंचों की कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लिखी गई हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 3 भी पारित हुआ हैं। इसके पश्चात दिनांक 05.05.2017 की बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। आगामी बैठक दिनांक 20.05.2017 को प्रस्ताव सं. 01 पारित करते हुए नियमानुसार शुल्क राशि 200/– जमा करने पर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार समस्त कार्यवाही पंचायत की आम बैठक में नियमानुसार सम्पन्न हुई हैं, ऐसे प्रार्थी का यह कथन भी मानने योग्य नहीं हैं कि आलौच्य पट्टा पश्चातवर्ती रूप से कूटरचना द्वारा जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भोजारिया द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 19 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:20:29 IST
Reason: SelfAttested